तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
18/7/22	पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी अनुपस्थित। वकील वादी स्वयं अनुपस्थित। वादी को मय अधिवक्ता, कोर्ट समय से तीन बार तीन-तीन आवाजें दिलाई गई। बावजूद आवाजें दिलाने के वादी व वादी के अधिवक्ता अनुपस्थित। अतः प्रस्तुत उन्वान प्रकरण वादी की अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली नियम मुताबिक होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलेक्टर, गुढ़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:09:22 IST
Reason: SelfAttested

||श्री||

सेवामें,

श्रीमान सहायक कलक्टर महोदय,
गुडामालानी जिला बाडमेर

वादीः–

1. देवाराम वल्द पूराराम उम्र 31 वर्ष
जाति जाट साकिन ढीमडी तहसील गुडामालानी
जिला बाडमेर ।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. मगाराम वल्द पूराराम उम्र 37 वर्ष
2. मालाराम वल्द पूराराम उम्र 40 वर्ष
3. खेतुदेवी पत्नी पुराराम उम्र 70 वर्ष
जाति जाट साकिन ढीमडी
तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर
4. मैनेजर आर एम जी बी बैक शाखा गुडामालानी
5. भूमिपति जरिये तहसीलदार गुडामालानी ।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 53 , 188 रा0 का0 अधिनियम वास्ते घोषणा बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा

महोदयजी,

वादीगण का दावा निम्न प्रकार से है :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:09:22 IST
Reason: SelfAttested

1. कि वादी व प्रतिवादी [illegible] सदस्य है जिनकी वंश वृक्षावली निम्न प्रकार से है :–

पूराराम

देवाराम | मगाराम | मालाराम | खेतुदेवी

क वादी व प्रतिवादी के नाम की सयुक्त खातेदारी भूमि पटवार मण्डल बांटा के ग्राम ढीमडी के खेत खसरा नम्बर 186/55 क्षैत्रफल 3.2375 हैक्टेयर किस्म बा. दोयम का आया हुआ है । जिसमे हम वादीगण का 1/4 हिस्सा है । तथा शेष हिस्सा प्रतिवादीगण का है जिसकी नकल जमाबंदी एवं नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति सलग्न है ।

3. कि वादी का उपरोक्त खेत खसरान की भूमि मे 1/4 हिस्सा खातेदारी का है जिसमे वादी का घर बांडा टाका कृषि कनेक्शन कब्जा काश्त है, वर्षात के दिनो मे तथा रबी की सीजन मे हम वादीगण अपने 1/4 हिस्से की भूमि पर लगातार काश्त करता आ रहा है ।

4. कि अर्सा आज से 7 दिन पुर्व वादी अपने 1/4 हिस्से की भूमि पर सियालु काश्त करने गये तो प्रतिवादी ने वादी को काश्त करने से रोका ओर कहा की मै हम प्रतिवादी संख्या बल मे अधिक व पहुच वाले है । हम उक्त खसरा की सम्पुर्ण भूमि पर काश्त कर लेगे मै आपके कब्जा सुदा भूमि मे जबरदस्ती जीरा व ईसब बोयेगे आपको उक्त भूमि के अन्दर नही आने देगे । वादी ने कहा की हम हमारे 1/4 हिस्सा पर वर्षो से काबिज है तथा भी इसी हिस्से मे काश्त करते आ रहे है । तथा हमारे पुर्वजो का मौके पर बहामी बंटवारा किया हुआ है । तथा उसी अनुसार मै काश्त कर रहा हूँ आप अपने हिस्से मे काश्त करो लेकिन वर्तमान मे प्रतिवादी की नियत मे खोट पैदा हो गया ओर प्रतिवादी नाराज होकर आवेश मे आकर झगडा फसाद पर उतारू हो गये तथा हमारे हिस्से की जमीन पर जबरन काश्त करने की धमकी दी तथा किसी अजनवी को सडक के पास वाली भूमि बैचने की धमकी दी ऐसी स्थिति मे वादीगण उपरोक्त पटवार मण्डल पटवार मण्डल बांटा के ग्राम ढीमडी के खेत खसरा नम्बर 186/55 क्षैत्रफल 3.2375 हैक्टेयर किस्म बा. दोयम का आया हुआ है मे वादीगण अपने 1/4 हिस्सा कब्जा काश्त अनुसार घोषित करवाने का अधिकारी है इसलिऐ यह वाद बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पैश है ।

5. कि वादी अपने हिस्से की भूमि को समतल कर तथा खाद मिटी आदि डालकर उपजाउ की तथा ओर अधिक उपजाउ बनाना चाहता है वह सरकारी एजेन्सी से ऋण लेना चाहता है । लेकिन उक्त भूमि ... होने से वादी को कई प्रकार की अडसने पैदा हो रही है । प्रतिवादीगण वादी ... उपजाउ जमीन को व सडक पर किमती जमीन को हडपना चाहता है । तथा श... ऋतु मे काश्त करने मे व्याधान पैदा करते है तथा पुरानी सेढा माठ को तोडते है इस समस्या से निजात पाने हेतु वादीगण अपने 1/4 हिस्से की भूमि पर मौका कब्जा काश्त अनुसार बंटवारा कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:09:22 IST
Reason: SelfAttested